

14/8/2020

मिस्त्र पेशा उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
 विधायक के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करने
 से इन्कार किया और बहल की जवाब हेतु
 विवेक किया। अतः जवाब विधायक वरुद्ध
 जारी है। बहल की गई। धराने बहल उभयपक्ष
 अधिवक्ता द्वारा सुनने की मांग जिसका विवरण
 अतिरिक्त तब से किया गया जिसके माँके
 एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने में
 सहमती जाहीर की गिरी हकीकार किया जाना
 है। एवं अब दिनांक 22.10.2019 को जारी
 अतिरिक्त अर्थात् विवेकाज्ञा को confirm
 किया जाता है।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
 गंगपुर जिला भीलवाड़ा

